

नामांकन से ऑफ्ट आउट की प्रक्रिया

1. फॉर्म आईएसआर -3 (प्रारूप संलग्न)
2. स्व- प्रमाणित पैन कार्ड
3. बॉण्ड धारक द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र

उपरोक्त दस्तावेजों की हार्ड कॉपी को निम्न पते पर भेजना आवश्यक है:

सेवामें ,
प्रबंधक
केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट: आरईसी - 54ईसी बॉण्ड)
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32,
वित्तीय जिला, नानकरामगुडा,
सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032।

किसी भी समस्या के संबंध में निम्नलिखित से संपर्क करने में संकोच न करें:

आरटीए संपर्क विवरण

टोल फ्री नंबर: 1800 309 4001

ईमेल: einward@kfintech.com

आरईसी निवेशक प्रकोष्ठ

टोल फ्री नंबर: 1800 180 2992

ईमेल:निवेशकसेल@recl.in, recbond.delhi@gmail.com

सोमवार से शुक्रवार (सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक)

फॉर्म आईएसआर - 3

सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा नामांकन से ऑप्टिंग आउट के लिए घोषणा फॉर्म

(आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए सरलीकृत मानदंड और पैन, केवाईसी प्रस्तुत करने के मानदंड विवरण और नामांकन पर सेबी का परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 03 नवंबर, 2021 देखें)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) (ए) के साथ पठित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11(1) और 11बी के साथ पठित धारा 72 तथा सेबी की अनुसूची VII और विनियम 101 में खंड सी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015)के अधीन]

कंपनी का नाम :

कंपनी का पंजीकृत पता:

मैं / हम धारक(कों) का प्रतिभूतियों ब्यौरे का कौन हूँ दिया गया यहाँ नीचे, किसी ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामित नहीं करना चाहते, जो मेरी/हमारी मृत्यु की स्थिति में ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकार निहित होंगे।

प्रतिभूतियों का विवरण (जिसके संबंध में नामांकन का विकल्प चुना जा रहा है)

प्रतिभूतियों की प्रकृति	फोलियो संख्या	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रमाण पत्र संख्या	विशिष्ट संख्या

मैं/हम नामिती(यों) की नियुक्ति न करने में शामिल मुद्दों को समझता/समझती हूँ और आगे यह भी जानता हूँ कि मेरी/हमारी मृत्यु की दशा में, मेरे/हमारे कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधियों को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे/ मेरी/हमारी पूर्वोक्त प्रतिभूतियों का दावा करने के लिए, वसीयत या अदालत द्वारा जारी किए गए दस्तावेज जैसे डिक्री या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रशासन पत्र / वसीयत की प्रोबेट या कोई अन्य दस्तावेज जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

प्रतिभूति धारक (कों) का नाम एवं पता :

एकमात्र / प्रथम धारक नाम

हस्ताक्षर

द्वितीय धारक नाम

तृतीय धारक नाम

गवाह के नाम तथा पता	हस्ताक्षर